



## बैंड बैंक के लिये आरबीआई की मंजूरी लंबति

### प्रलम्बिस् के लयिः

भारतीय रज़िस्व बैंक, बैंड बैंक, नेशनल एसेट्स रकिंस्टरकशन कंपनी लमिडिड, इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लमिडिड, एसेट्स रकिंस्टरकशन कंपनी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, नॉन-परफॉर्मिंग लोन ।

### मेन्स के लयिः

मौद्रकि नीति, बैंकिंग क्षेत्तर और एनबीएफसी, बैंड बैंक, नेशनल एसेट्स रकिंस्टरकशन कंपनी लमिडिड, इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लमिडिड, एसेट्स रकिंस्टरकशन कंपनी, नॉन-परफॉर्मिंग लोन और संबंघति मुददे ।

## चर्चा में क्योँ?

'बैंड बैंक' स्थापति करने के प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रज़िस्व बैंक (RBI) की मंजूरी अभी भी लंबति है ।

- सर्तिंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने तनावग्रस्त ऋण संपत्तिप्राप्त करने के लयिः **राष्ट्रीय परसिंपत्ति पुनरनिमाण कंपनी (National Asset Reconstruction Company Limited-NARCL)** द्वारा जारी रसीदों को वापस करने हेतु 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी है ।

## प्रमुख बडि

### ■ NARCL & IDRCL:

- NARCL की स्थापना और एक **परसिंपत्ति पुनरनिमाण कंपनी (ARC)** के रूप में कारोबार करने के लयिः आरबीआई द्वारा लाइसेंस जारी कयिा गया है ।
  - NARCL वभिन्नि चरणों में वभिन्नि वाणजियकि बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त संपत्ति का अधग्रहण करेगी ।
  - सार्वजनकि क्षेत्तर के बैंक (PSB) NARCL में 51% के साथ स्वामित्व बनाए रखेंगे ।
- इसके साथ ही इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लमिडिड (IDRCL) नामक एक **एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करने के लयिः एक अलग कंपनी की स्थापना** की गई है, जो **परसिंपत्तियों का प्रबंधन एवं समाधान प्रदान** करेगी और मूल्य से संबंघति परचालन पहलुओं में भी मदद करेगी तथा इसका उद्देश्य **सर्वोत्तम संभव वसूली एवं समाधान प्रक्रिया** को वकिसति करना होगा ।
- IDRCL में सार्वजनकि क्षेत्तर के बैंक (PSB) और सार्वजनकि वत्तीय संस्थान (FI) की अधिकतम 49% की हसिसेदारी होगी । शेष 51% की हसिसेदारी नज्जि क्षेत्तर के ऋणदाताओं के पास होगी ।**
- NARCL प्रमुख रूप से 51% स्वामित्व वाले सार्वजनकि क्षेत्तर के बैंकों के स्वामित्व में है, लेकनि IDRCL के मामले में 51% शेयर नज्जि क्षेत्तर के हाथों में है ।

### ■ दोहरी संरचना का कार्य:

- NARCL** पहले बैंकों से बैंड लोन खरीदेगा ।
- यह सहमत मूल्य (**agreed price**) का 15% नकद और शेष 85% **"सुरक्षा रसीद"** के रूप में भुगतान करेगा ।
- जब संपत्तियाँ बेची जाएंगी तो IDRCL की मदद से वाणजियकि बैंकों को बाकी का भुगतान कयिा जाएगा ।
- यदि बैंड बैंक बैंड लोन को बेचने में असमर्थ है, या उसे घाटे में बेचना है, तो सरकारी गारंटी लागू होगी ।
  - वाणजियकि बैंक को क्य़ा मलिना चाहयिे था और बैंड बैंक क्य़ा जुटाने में सक्षम था, इसके मध्य का अंतर सरकार द्वारा प्रदान कयिे गए 30,600 करोड़ रुपए से पूरा कयिा जाएगा ।
- यह गारंटी पाँच वर्ष की अवधकिे लयिः बढ़ाई गई है ।

### ■ भारतीय बैंकों की मांग:

- आमतौर पर एक एकल इकाई को मालकि के रूप में जवाबदेह ठहराया जाता है तथा संपत्तिकी वसूली के लयिः भौगोलकि क्षेत्रों का पालन कयिा जाता है ।
- संभवतः इस मुददे को हल करने के लयिः एक 'प्रसिपिल एंड एजेंट मैकेनिज्म' (Principal and Agent mechanism) या इसी प्रकार की

व्यवस्था विकसित हो सकती है।

- ऐसा माना जाता है कि भारतीय बैंक संघ द्वारा एक दोहरी संरचना की मांग की गई थी जिसमें AMC को नज़ि तौर पर आयोजित एक इकाई के रूप में, नियामक संस्थाओं के दायरे से बाहर रखा जाए।

#### ■ आरबीआई द्वारा छूट:

- RBI दोहरी संरचना की अनुमति देने के लिये इच्छुक नहीं है जिसमें एक इकाई **गैर-नष्पादित ऋण** (Non-Performing Loans) प्राप्त करती है और दूसरी समाधान है। RBI द्वारा इस बात के संकेत दिये गए हैं कि अधिग्रहण और समाधान दोनों को एक ही कानूनी इकाई के तहत रखा जाना चाहिये।
- उत्पन्न समस्याओं में दो अलग-अलग संस्थाओं - NARCL और IDRCL की प्रस्तावित स्थापना के साथ स्वामित्व संरचना और परिचालन तंत्र से उत्पन्न होने वाले मुद्दे शामिल हैं।

## बैंड बैंक

#### ■ बैंड बैंक के बारे में:

- तकनीकी रूप से बैंड बैंक एक **परसिंपत्त पुनर्रगठन कंपनी** (Asset Reconstruction Company-ARC) या परसिंपत्त प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणज्यिक बैंकों के बैंड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है।
- बैंड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रक्रिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है।
- बैंड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैंड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है।

#### ■ बैंड बैंक के प्रभाव:

- **वाणज्यिक बैंकों का दृष्टिकोण:** वाणज्यिक बैंक उच्च NPA स्तर के कारण परेशान हैं, बैंड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी।
  - ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पा लेगा, जो एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे।
  - जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में दिया जाएगा, तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फरि से उधार देना शुरू कर सकता है।
- **सरकार और करदाता पर प्रतिक्रिया:** चाहे डूबे हुए ऋणों से ग्रसित PSB का पुनर्रपूँजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसा करदाताओं की जेब से आ रहा है।
  - जबकि पुनर्रपूँजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्रायः "सुधार" के रूप में नामित किया जाता है, वे एक अच्छे रूप में बैंड अनुदान/सहायता (Band Aids) हैं।
  - PSBs में ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।
  - अगर बैंड बैंक बाज़ार में ऐसे बैंड एसेट्स को बेचने में असमर्थ रहते हैं तो वाणज्यिक बैंकों को राहत देने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसका भार वास्तव में करदाता पर पड़ेगा।

## आगे की राह

- जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति समर्पित रहेगा, व्यावसायिकता में कमी बनी रहेगी और उधार देने में विकल्पपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन होता रहेगा।
- इसलिये एक बैंड बैंक एक अच्छा विचार है, लेकिन मुख्य चुनौती बैंक प्रणाली में अंतरनिहित संरचनात्मक समस्याओं से निपटने और उसके अनुसार सुधारों की घोषणा करने में है।

## स्रोत: द हिंदू